

संदर्भ सं.: आईआरडीए/एफ एण्ड ए/सीआईआर/एमआईएससी/126/05/2021

Ref. No: IRDA/F&A/CIR/MISC/126/05/2021

दिनांक / Date: 06-05-2021

**परिपत्र**  
**Circular**

प्रति / To,  
सभी बीमाकर्ता और पुनर्बीमाकर्ता (एफआरबी सहित)  
All Insurers and Reinsurers (including FRBs)

**विषय: प्राधिकरण को विवरणियाँ फाइल करने और बीमाकर्ताओं के वेबसाइटों पर सार्वजनिक प्रकटन अपलोड करने के लिए समय-सीमा में विस्तार**  
**Sub: Extension of time limit for filing of returns to the Authority and uploading the Public Disclosures on websites of insurers**

बीमाकर्ताओं से, प्राधिकरण द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसरण स्वरूप विभिन्न विनियामक विवरणियाँ भेजना और अपने वेबसाइटों पर सार्वजनिक प्रकटन अपलोड करना अपेक्षित है।

The insurers are required to furnish various regulatory returns and upload the Public Disclosures on their website pursuant the instructions issued by the Authority.

2. कोविड-19 महामारी को फैलने से रोकने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा लागू किये गये आंशिक लॉकडाउन और प्रतिबंधों के मद्देनजर लिये गये निर्णयानुसार 31.03.2021 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए मासिक, तिमाही, छमाही और वार्षिक-सभी विवरणियाँ भेजने की समय-सीमा **30 दिनों की अवधि के लिए बढ़ा दी गयी** है। इसके साथ ही, 31.03.2021 को समाप्त अवधि के लिए बीमाकर्ताओं द्वारा वेबसाइट पर सार्वजनिक प्रकटनों के संबंध में निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने की समय-सीमा भी **30 दिनों की अवधि के लिए बढ़ा** दी जाती है। बीमाकर्ता सभी विनियामक फाइलों का अनुपालन सुनिश्चित करने और सार्वजनिक प्रकटनों को अपलोड करने के लिए अतिरिक्त समय का लाभ उठा सकते हैं।

In view of the partial lockdown and the restrictions imposed by the various states to contain the spread of the COVID 19 pandemic, it has been decided that the time limit for furnishing all monthly, quarterly, half yearly and annual returns for the period ending on 31.03.2021 is **extended by a period of 30 days**. Further the time limit for ensuring compliance with the directions regarding Public Disclosures on websites by insurers, for the period ended on 31.03.2021, is also **extended by a period of 30 days**. The insurers may avail the additional time and ensure compliance with the requirements of all regulatory filing and uploading of the public disclosures.

3. सभी बीमाकर्ता, प्राधिकरण को संबंधित महीने के अंत से 15 के भीतर मासिक आधार पर शोधन-क्षमता की स्थिति फाइल करना जारी रखेंगे।

All insurers shall continue to file the solvency position with the Authority on monthly basis within 15 days from the end of the respective month.

हस्ताक्षरित / Sd/-

(डॉ. ममता सूरी / Dr. Mamta Suri)

मुख्य महाप्रबंधक (एफ & ए) / Chief General Manager (F&A)